जारी
25/9/2018

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–7
संख्याः 1212/XX-7/2018–01(67)/2016
देहरादूनः दिनांकः 25 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007(अधिनियम संख्याः 1 वर्ष 2008) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी किये गये सभी वर्तमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस बल के घुड़सवार पुलिस आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं उपनिरीक्षक के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण व स्थायीकरण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली, 2018

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस अधीनस्थ सेवा एक ऐसी राज्य सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों, इस नियमावली मेंः–
(क) ''**नियुक्ति प्राधिकारी**'' से आरक्षी व मुख्य आरक्षी पुलिस घुड़सवार के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक अभिप्रेत है तथा उपनिरीक्षक, घुड़सवार पुलिस के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक अभिप्रेत है,
(ख) ''**संविधान**'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है,
(ग) ''**भारत का नागरिक**'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।
(घ) ''**राज्यपाल**'' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं।
(ड.) ''**सरकार**'' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है।
(च) ''**विभागाध्यक्ष**'' से पुलिस महानिदेशक अभिप्रेत हैं।
(छ) ''**सेवा का सदस्य**'' से इस नियमावली या नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
(ज) ''**घुडसवार पुलिस**'' से उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस बल की घुडसवार पुलिस अभिप्रेत है।
(झ) ''**पुलिस मुख्यालय**'' से पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड का कार्यालय अभिप्रेत है।

(ख) मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिसः–

(1) मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त आरक्षी घुडसवार पुलिस में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि में सम्मिलित करते हुए घुडसवार पुलिस में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(2) मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के 50 प्रतिशत पदों पर चयन मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी घुडसवार पुलिस में से जिनके द्वारा "एडवांस कोर्स चयन परीक्षा" उत्तीर्ण कर ली हो तथा घुडसवार पुलिस में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ग) उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिसः–

(1) उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के 50 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त **मुख्य** आरक्षी घुडसवार पुलिस में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि में सम्मिलित करते हुए घुडसवार पुलिस में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(2) उपनिरीक्षक घुडसवार पुलिस के 50 प्रतिशत पद परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से ऐसे मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस में से भरे जायेगें, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, इस रूप में परिवीक्षा अवधि सहित 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

टिप्पणी– अर्हकारी प्रकृति की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर ही उप निरीक्षक घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिये विचार किया जायेगा।

भाग–चार– भर्ती की प्रकिया

आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर चयन हेतु अर्हताए

6. **आरक्षी घुडसवार के पद पर चयन हेतु निम्नवत अर्हताऐं पूर्ण करने वाले आरक्षियों को घुडसवार पुलिस में नियुक्त किये जाने हेतु चयन समिति के माध्यम से चयन किया जायेगाः–**

(क) आरक्षी, घुडसवार पुलिस में नियुक्त किये जाने का इच्छुक हो।

(ख) आरक्षी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित न हो, जिसके लिए चयन के समय चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) आरक्षी पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका हो एवं सेवा अभिलेख में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो।

(घ) आरक्षी की अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो।

(ड.) चयनित आरक्षियों को विभाग द्वारा विहित प्रशिक्षण कराया जायेगा, परीक्षा में असफल आरक्षियों को उनके मूल इकाई में वापस भेज दिया जायेगा।

विगत 05 वर्ष से पूर्व के 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(II) **चयन समिति**– पात्र अभ्यर्थियों में से चयन हेतु लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित की जाने वाली चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्न पदाधिकारी होगेः–

(क) पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तर का एक अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) पुलिस अधीक्षक/सेनानायक स्तर के अधिकरी– सदस्य
(ग) अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी समिति की सहायतार्थ आवश्यकतानुसार नामित किये जायेगे।

उपरोक्त में से कम से कम एक अधिकारी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग का होगा।

(III)**लिखित परीक्षाः**–लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन की प्रकिया ऐसी होगी,जैसी **परिशिष्ट–2** में निर्धारित है।

(IV)**परीक्षाफल की घोषणाः**–लिखित परीक्षा, सेवा अभिलेख में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तथा प्रचलित आरक्षण नियमों के अधीन अन्तिम योग्यता सूची चयन समिति द्वारा श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

(V) **मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद** पर **प्रोन्नति, प्रशिक्षणः**– उपरोक्त विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण सभी कर्मियों को 03 माह का एडवांस कोर्स कराया जायेगा, जिसमें उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनके द्वारा किये गये एडवांस प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। समान अंक प्राप्त करने वाले आरक्षियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण उनके आरक्षी पद पर सेवा अवधि के आधार पर की जायेगी।

(VI) **मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर चयनः**– मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के **पद** पर प्रादेशिक स्तर पर हुये रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति प्रदान की जायेगी।

(VII) वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का आधार शासनादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को छोड़कर वरिष्ठता होगा। वरिष्ठता का निर्धारण आरक्षी घुडसवार के पद पर नियुक्ति की तिथि से नियमानुसार निर्धारित होगी। पात्र आरक्षी, घुडसवार पुलिस को नियमानुसार 03 माह का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(2) <u>उपनिरीक्षक, घुडसवार पुलिस के पद पर पदोन्नति की प्रकियाः</u>–

(1) **सेवा अवधिः**–मुख्य आरक्षी घुडसवार पुलिस के पद पर न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा होनी अनिवार्य है।

(2) **आयु का निर्धारणः**–घुडसवार पुलिस के उपनिरीक्षक की पंक्ति पर पदोन्नति के लिए भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी को आयु अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो।

भाग– पांच

नियुक्ति,प्रशिक्षण,परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

10. नियम 8 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त चयन सूची भी जारी की जायेगी, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी, यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाये या उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

परन्तु यह कि इस नियम के प्रयोजन हेतु नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी तथा जिस आरक्षी का एक बार घुडसवार पुलिस में आबंटन हो जायेगा, उसे संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

प्रशिक्षण

11. आरक्षी के पद पर नियम 7 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैडेटों पर पी0टी0सी0 मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नही दिया जाता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

परिवीक्षा

12. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएगे, अलग–अलग मामलो में परिवीक्षा अवधि को बढा सकेगा जिसमें ऐसी दिनांक विनिर्दिष्ट की जायेगी जब तक अवधि बढाई जायः परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।

(4) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त

ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित कर्मी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित कर्मियों से ज्येष्ठ होंगे। अगर किसी पद के लिए प्रोन्नति, परीक्षा के माध्यम से है तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा प्रेषित अन्तिम चयन सूची के अनुसार होगी। अगर प्रोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर है तो एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये कर्मियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी। यहां चयन के दिनांक का तात्पर्य बोर्ड द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने के दिनांक से है।

(3) उपरोक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुये भी अगर ज्येष्ठता के संबंध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागध्यक्ष द्वारा तर्कसंगत आदेश जारी कर किया जायेगा।

भाग–छः– वेतनमान

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन 15. (1) परिवीक्षा के दौरान वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगाः

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ऐसी बढाई गई अवधि वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से संबंधित सरकारी सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

वेतनमान 16. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त कर्मियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) सेवा के सदस्यों का वेतनमान इस नियमावली के प्रारम्भ के समय निम्न प्रकार हैः–

क0सं0	पदों का विवरण	वेतनमान/वेतन लेवल
1	उपनिरीक्षक,घुडसवार पुलिस	वेतन लेवल–7 रू0 44900–142400
2	मुख्य आरक्षी,घुडसवार पुलिस	वेतन लेवल–4 रू0 25500–81100
3	आरक्षी, घुडसवार पुलिस	वेतन लेवल–3 रू0 21700–69100

उक्त के अतिरिक्त सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत भत्ते पाने के हकदार होंगे।

परिशिष्ट–1

नियम–4(2) देखें

पद का नाम	स्वीकृत नियतन
आरक्षी, घुड़सवार पुलिस	35
मुख्य आरक्षी, घुड़सवार पुलिस	16
उपनिरीक्षक, घुड़सवार पुलिस	03

(ख) 08 दिन से 14 दिन का कोर्स –04 अंक
(ग) 15 दिन से 30 दिन का कोर्स –06 अंक
(घ) 01 माह से अधिक का कोर्स –08 अंक

(बेसिक एवं रिफ्रेशर कोर्स की गणना नही की जायेगी)

(i)बेसिक कोर्स के अंतर्गत निम्न कोर्स रखे जायेगें–

1–कानि0 का आधारभूत प्रशिक्षण।

2– ड्राईवर कोर्स, बम डिस्पोजल कोर्स, आरमोरर कोर्स, बिगुलर कोर्स, शैडो–गनर कोर्स, आईटीआई–पीटीआई कोर्स, घुड़सवार पुलिस कोर्स, यातायात पुलिस कोर्स, कुम्भ मेला प्रशिक्षण, सीसीटीएनएस कोर्स, आपदा कोर्स।

3– उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी ऐसे कोर्स/प्रशिक्षण, जो किसी पद पर नियुक्ति हेतु किये जाने के लिए अनिवार्य हो।

(ii)किसी तकनीकी पद जैसे– बम डिस्पोजल स्क्वॉयड/ आरमोरर/बिगुलर/चालक पद पर चयन/नियुक्त होने के उपरांत सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किये गये उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के अंक प्रशिक्षण अवधि के अनुसार प्रदान किये जायेगें।

(2)पुरस्कार/पदक–(अधिकतम–25 अंक)

(क)प्रत्येक नगद पारितोषिक के लिए– 01 अंक(अधिकतम 10 अंक)
(ख)महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक –10 अंक
मा0 प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक –10 अंक
वीरता पुलिस पदक –10 अंक
सराहनीय सेवा पुलिस पदक –08 अंक
महामहिम राज्यपाल पदक –06 अंक
मा0 मुख्यमंत्री पदक –06 अंक
उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह –04 अंक
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह –02 अंक

(3)वार्षिक मन्तव्य (अधिकतम 15 अंक)

(क)उत्कृष्ट श्रेणी/सर्वोत्कृष्टOut Standing-02 अंक (प्रत्येक मन्तव्य पर)
(ख) अतिउत्तम/बहुत अच्छा Very good/Excellent–01 अंक (प्रत्येक मन्तव्य पर)

(4) ऋणात्मक अंक

(1) विगत 05 वर्षो से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रतिकूल सत्यनिष्ठा पर प्रत्येक सत्यनिष्ठा के लिये 05 अंक की कटौती होगी।

(2) विगत 05 वर्ष से पूर्व 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य पर 02 अंक की कटौती की जायेगी ।

(3) विगत 05 वर्षो से पूर्व के प्रत्येक दीर्घ दण्ड पर 05 अंक की कटौती होगी।

(4) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी।

(5) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षो के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।

(2)पुरस्कार / पदक–(अधिकतम–25 अंक)

(क)प्रत्येक नगद पारितोषिक के लिए– 01 अंक(अधिकतम 10 अंक)

(ख)महामहिम राष्ट्रपति पुलिस पदक –10 अंक

मा0 प्रधानमंत्री जीवन रक्षा पदक	–10 अंक
वीरता पुलिस पदक	–10 अंक
सराहनीय सेवा पुलिस पदक	–08 अंक
महामहिम राज्यपाल पेदक	–06 अंक
मा0 मुख्यमंत्री पदक	–06 अंक
उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह	–04 अंक
सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह	–02 अंक

(3)वार्षिक मन्तव्य (अधिकतम 15 अंक)

(क)उत्कृष्ट श्रेणी / सर्वोत्कृष्टOut Standing-02 अंक (प्रत्येक मन्तव्य पर)

(ख) अतिउत्तम / बहुत अच्छा Very good/Excellent–01 अंक (प्रत्येक मन्तव्य पर)

(4) ऋणात्मक अंक

(1) विगत 05 वर्षो से पूर्व के सेवाकाल के दौरान प्रतिकूल सत्यनिष्ठा पर प्रत्येक सत्यनिष्ठा के लिये 05 अंक की कटौती होगी।

(2) विगत 05 वर्ष से पूर्व 05 वर्ष के प्रत्येक वर्ष के प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य पर 02 अंक की कटौती की जायेगी ।

(3) विगत 05 वर्षो से पूर्व के प्रत्येक दीर्घ दण्ड पर 05 अंक की कटौती होगी।

(4) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक लघु दण्ड पर 02 अंक की कटौती होगी।

(5) विगत 05 वर्ष से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।

सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य विगत 10 वर्षो के आंकलित होंगे तथा दण्ड का आंकलन विगत 10 वर्षों का किया जायेगा, जबकि सेवा, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुरस्कार, पदक आदि के लिए चयन वर्ष की प्रथम जुलाई तक की अवधि के आधार पर सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन किया जायेगा।